उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-10/2018/309/तीस-4-2018-01(सा0)/2018

लखनऊः दिनांकः 17 मार्च, 2018

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्ग को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सम्भाग में मंजिली गाड़ी चलाने के लिये निश्चित करते हैं:-

अनुसूची

क्र0सं0	संभाग	मार्ग	दूरी (किमी0)
1	2	3	4
1	कानपुर	लखनऊ-नोयडा सेक्टर-37 (एक्सप्रेस वे) वाया रिंग रोड कुबेरपुर (आगरा), परीचौक	495.8

आज्ञा से,

ह0

आराधना शुक्ला

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2018/309(1)/तीस-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 17 मार्च, 2018 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-10/2018/309(2)/तीस-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- समस्त सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.10/2018/309/ XXX-4-2018-01(sa.)/2018 dated March 17, 2018

Notification

No.10/2018/309/XXX-4-2018-01(sa.)/2018
dated. March 17, 2018

In exercise of the powers conferred under Section – 68 (3) (ca) of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the route mentioned in column-3 of the Schedule below in the region mentioned in column-2 of the said Schedule for plying stage carriage –

SCHEDULE

Sr.No.	Region	Route	Distance (Km.)
1	2	3	4
1	Kanpur	Lucknow-Noida Sector-37 (Express way) via Ring Road, Kuberpur (Agra)] Parichauk	495.8

By Order,
sd/
Aradhana Shukla
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।